प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य जनपद एटा

एटा– थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नगर क्षेत्र में हुई चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण, 2 शातिर चोर चोरी की गई धनराशि 3,81,500 रुपए सहित गिरफ्तार।

घटना- 1

दिनांक 23.06.2022 को वादी श्री मक्खन लाल पुत्र स्वर्गीय राजाराम निवासी मोहल्ला सुनहरी नगर थाना कोतवाली नगर एटा (रिटायर्ड पुलिसकर्मी) द्वारा थाना कोतवाली नगर पर इस आशय की सूचना दी गई कि दिनांक 22 / 23.06.2022 की रात्रि में किन्हीं अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़, नगदी एवं जेवरात चोरी कर लिए हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मुअस - 424 / 2022 धारा 380 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना- 2

दिनांक 27.09.2023 को वादी श्री रणवीर सिंह पुत्र अतिवीर सिंह निवासी संजय नगर थाना कोतवाली नगर एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि दिनांक 26/ 27.09.2023 की रात्रि में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके घर में घुसकर उसके बक्से से उसका एटीएम कार्ड निकाल लिया और उसे एटीएम कार्ड से 1500 रुपए निकाल लिए हैं, इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मुअस 727 / 2023 धारा 457, 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 30.09.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर जीटी रोड सैनिक पड़ाव के पास से समय करीब 09.15 बजे चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य बिंदु -

1. दिनांक 27.09.2023 को वादी श्री रणवीर सिंह पुत्र अतिवीर सिंह निवासी संजय नगर थाना कोतवाली नगर एटा द्वारा तत्समय स्थानीय पुलिस को बताया गया कि किन्हीं अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर बक्सा तोड़कर उसमें से 2 लाख रुपये ज्वैलरी तथा एटीएम कार्ड चोरी कर लिया है, स्थानीय पुलिस द्वारा जब गहनता से पूछताछ की गई तो वादी द्वारा सिर्फ एटीएम कार्ड चोरी करना और उस एटीएम कार्ड की मदद से बैंक अकाउंट से दो बार में 1500 रुपये निकालना बताया।

2. पुलिस द्वारा पूछताछ में वादी ने बताया कि उन्होंने ज्यादा धनराशि चोरी होना इसलिए बताया जिससे पुलिस उनकी चोरी को गम्भीरता से लेकर उसका अनावरण करें।
3. वादी द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने एटीएम का पिन एक काजग पर लिखकर उसी बक्से में रख दिया था।
4. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एटीएम रुम के सीसीटीवी फुटेज के आधार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी जामातलाशी में अभियुक्तों से 1500 रुपए व एक थैले में 3.80000 रुपये बरामद हुए।
5. स्थानीय पुलिस द्वारा जब अभियुक्तों से बरामद रुपयों के बारे में कड़ाई से पूछत 1500 रुपये तो एटीएम से निकाले जाने तथा 3,80,000 रुपए के संबंध में अभियुक्त की वर्ष 2022 माह जून में उसने रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर में घुसकर आभूषण चोरी बेचकर वह अपना कर्ज पटाने जा रहा था तभी कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता
1. राजीव पुत्र बहोरीलाल निवासी भागीपुर थाना कोतवाली नगर एटा (उम्र करीब 38 वर्ष)
2. दिलीप उर्फ डौली पुत्र जगमोहन निवासी भागीपुर थाना कोतवाली नगर एटा (उम्र करीब 34 वर्ष)

बरामदगी -
1. 3,80,000 रूपये (मु0अ0सं0 424 / 22 धारा 380 भादवि से संबंधित)
2. 1500 रूपये (मु0अ0सं0 727 / 23 धारा 457, 380, 411 भादवि से संबंधित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण
1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार
3. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार
4. उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह
5. आरक्षी कृष्ण गोपाल
6. आरक्षी पिंटू कुमार
7.आरक्षी चरन सिंह
8. आरक्षी राजकुमार
9. आरक्षी मनोज